



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2491/SEIAA/2022

Date: 5/11/23

प्रति,

श्री सनाउलहक आत्मज श्री सईदुल हक,
निवासी तालाब रोड़, फारेस्ट डिपो,
रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र 9409/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सनाउलहक आत्मज श्री सईदुल हक, निवासी तालाब रोड़, फारेस्ट डिपो, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2400 प्रतिवर्ष, रकबा 1.314 हेक्टेयर, खसरा 209, ग्राम अजायबनगर (मुण्ड), तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 611वीं बैठक दिनांक 14.12.2022 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 764वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

".....प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति (जो डिया से प्राप्त की गई है) की शर्तों के पालन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया तथा परियोजना प्रस्तावक और उनके पर्यावरणीय सलाहकार भी इस संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी या छः-माही पालन प्रतिवेदन समिति के सक्षम प्रस्तुत कर सके चूंकि पूर्व में भी यह खदान इन्ही परियोजना प्रस्तावक को आवंटित थी अतः वे इस प्रकरण में डिया से प्राप्त ई.सी. की शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ व छःमाही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में उपरोक्त कारणों से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा किया जाना संभव नहीं है तथा प्रकरण सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये"


उपरोक्त निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक DEIAA द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाने तक प्रकरण को डिलिस्ट किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण **Delist** किया जाता है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2492/SEIAA/2022 दिनांक - 5/11/23
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रायसेन (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी